न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 साधना शर्मा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 107 / 2014 आर0सी0एम0एसः–2014 / 00146

1. सुगनदेवी पुत्री स्व0 श्यामसुन्दर उम्र करीब 53 वर्ष जाति सुनार निवासी इटायपाडा खिडकी मौहल्ला पुराना शहर धौलपुर

----------वादिया

बनाम

1. रमेशचन्द्र पुत्र स्व0 श्यामसुन्दर उम्र 60 वर्ष
2. माया पत्नी स्व0 ओमप्रकाश उम्र करीब 65 साल
3. वैजन्ती पत्नि स्व0 जगदीश उम्र करीब 60 वर्ष
4. पप्पन उम्र 28 वर्ष 5. नन्दकिशोर उम्र 25 वर्ष 6. हरिओम उम्र 20 वर्ष पुत्रगण स्व0 जगदीश जातिगण सुनार निवासीगण मौहल्ला खिडकी इटायपाडा पुराना शहर धौलपुर
7. प्यारेलाल पुत्र जौहरी जाति हरिजन निवासी लुधपाडा हरिजन वस्ती पुराना शहर धौलपुर।
8. राकेशदेवी पत्नी हरीचन्द पुत्री श्यामसुंन्दर जाति सुनार निवासी फुलट्टी बाजार मुखनी गली आगरा उ0प्र0।
9. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ।

----प्रतिवादीगण

दावा वास्ते स्वत्व घोषणा, विभाजन, एवं
स्थाई निषेधाज्ञा राज0 काश्तकारी अधि0।

उपस्थिति–श्री देवेन्द्र शर्मा एडवोकेट ––वादिया की ओर से

दिनांक 30.08.2024

निर्णय

वादिया की ओर से वाद पत्र इन तथ्यो के साथ प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 329 रकबा 04 विस्वा स्थित ग्राम फतिहाबाद तहसील धौलपुर है जिसमे कुआ स्थित रहा हैं के खातेदार काश्तकार एकान्तिक रूप से वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व 8 के पूर्व पुरूष श्यामसुन्दर पुत्र मुरलीधर थे उनका निधन लगभग 35 वर्ष पूर्व हो चुका है। वाद पत्र में श्यामसुन्दर का शिजरा अंकित करते हुऐ अंकित किया कि वंशवृक्ष के अनुसार वादिया के पिता श्यामसुन्दर ने अपनी मृत्यू के समय अपने निकटतम उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र ओमप्रकाश पति प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश पूर्व पुरूष प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 विनोद एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा पुत्रियों में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 8 को छोडा जिन्होने मृतक का

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

सम्पूर्ण तरका विरासतन प्राप्त किया। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 का पति ओमप्रकाश प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के पूर्व पुरूष जगदीश, विनोद प्रतिवादी संख्या 1 वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 8 बहिस्सा बराबर अर्थात 1/6–1/6 भाग के खातेदार काश्तकार हुऐ। प्रतिवादी संख्या 2 के पति ओमप्रकाश का निधन 20 वर्ष पूर्व हो चुका हैं उसके निधन के समय उसकी पत्नि प्रतिवादी संख्या 2 उत्तराधिकारी के रूप में जीवित थी इसलिए मृतक ओमप्रकाश का समस्त तर्का प्रतिवादी संख्या 2 पर संयुक्त रूप से सहखातेदारो के साथ प्रकान्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के पूर्व पुरूष जगदीश कस निधन 7 वर्ष पूर्व हो गया उसके निधन के समय उसकी वेवा प्रतिवादी संख्या 3 एवं पुत्रगण प्रतिवादी संख्या 4 लगायात 6 जावित थे जिन्होने मृतक का समस्त तर्का उत्तराधिकार में प्राप्त किया। वादिया के भाई विनोद का निधन बिना पत्नि बिना सतान 5 वर्ष पूर्व हो गया है उसके निधन के समय निकटतम उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1, वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 8 जीवित थे जिन पर विनोद का समस्त तर्का संयुक्त रूप से प्रकान्त हुआ। इस प्रकार वर्तमान में विवादित आराजी में वादिया 2/9, प्रतिवादी संख्या 8 हिस्सा 2/9 प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 2/9, प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 हिस्सा 1/6 भाग के संयुक्त खातेदार काश्तकार है और इसी हैसियत से काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। वादिया के पिता श्यामसुन्दर के देहान्त के समय वादिया अपनी ससुराल ग्वालियर में निवास कर रही थी और धौलपुर आना जाना था वादिया इस भूल में रही कि पिता के निधन के बाद विवादित भूमि में वादिया के नाम नामान्तकरण हो गया होगा। वादिया के पति से वादिया का तलाक 20 वर्ष पूर्व हो चुका है तब से वादिया धौलपुर में ही रह रही हैं और सहखातेदारो के साथ भूमि का उपयोग उपभोग कर रही है। लगभग 7 माह पूर्व प्रतिवादीगण 1 लगा0 7 विवादित भूमि पर आये और इजहार किया कि वादिया का विवादित आराजी में हिस्सा नहीं हैं विवादित भूमि केवल प्रतिवादी संख्या 1 रमेश, प्रतिवादी संख्या 2 के पति ओमप्रकाश, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के पूर्व पुरूष जगदीश व विनोद ,खातेदार थे जिन्होने प्रतिवादी संख्या 7 को भूमि बेच दी है इसलिए भविष्य में प्रतिवादी संख्या 7 भूमि का उपयोग करेगा वादिया को उपयोग उपभोग नही करने देगा। इस पर वादिया ने राजस्व नकले प्राप्त की तो वादिया को ज्ञात हुआ कि वादिया के पिता के निधन के पश्चात् वादिया के भाईयों के नाम नामान्तकरण खुल गया वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 8 के नाम नामान्तकरण नही खुला। वादिया स्वयं का 2/9 भाग की खातेदार काश्तकार है और इसी अनुसार रेकार्ड में इन्द्राज कराने की अधिकारी है विवादित भूमि में संयुक्त काश्त करना सम्भव नही है इसलिए वादिया अपना हिस्सा 2/9 बाई मीटस एण्ड बाउण्ड प्रथक कराने की अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण के बिरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी हैं । वादिया ने निवेदन किया कि विवादित आराजी में वादिया को 2/9 भाग की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे उसके हिस्से की आराजी का बटंवारा बाई मीटस एण्ड बाउण्ड किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो का तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 7 व 8 के विरूद्व दिनांक 16.9.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 स्वयं एवं उनके अभिभाषक उपस्थित हुये, उनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नही किये जाने पर दिनांक 26.9.2016 को जवाब दावा का अवसर बन्द किया गया। वादिया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में शिजरा प्रमाण पत्र प्रदर्स–1, टी0सी0 प्रदर्स–2, नकल मिसिल बन्दोबस्त प्रदर्स–4 नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 एवं नकल नामान्तकरण संख्या 84 ग्राम फतिहाबाद प्रस्तुत किया गया। मौखिक साक्ष्य में वादिया की ओर से ब्यान वादिया पी0डब्लू0–1 एवं बयान कृष्णमोहन पीडब्ल्यू 2 कराये गये।

बहस एक पक्षीय विद्वान अभिभाषक वादिया सुनी गई उन्होने अपने तर्को में वादपत्र मे अंकित तथ्यो को दुहराते हुऐ वादिया को विवादित आराजी मे 2/9 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कर बटवांरा बाई मीटस एण्ड बाउण्ड किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन करने एव पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त दावा वादिया दिनांक 23.01.2023 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 329 रकबा 04 बिस्वा स्थित ग्राम फतिहाबाद तहसील धौलपुर में वादिया को 2/9 भाग का, प्रतिवादी संख्या 8 को 2/9 भाग का, प्रतिवादी सख्या 1 को 2/9 भाग का प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 भाग का एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 को 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। राजस्व रेकार्ड में तदनुसार इन्द्राज किये जाने एवं आराजी का बटंवारा बाई मीटस एण्ड बाउण्ड किये जाने के आदेश दिये गए। तहसीलदार धौलपुर से विवादित आराजी के विभाजन के प्रस्ताव तलब किये गए।

उक्त आदेश के क्रम में तहसीलदार धौलपुर द्वारा उनके पत्रांक 267 दिनांक 19.07.2023 से मौका रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि उनवानी प्रकरण में ख.नं. 329 रकबा 0–04 वीघा बाके ग्राम फतिहाबाद में भूमि की किस्म गै.मु. कुंआ दर्ज रिकॉर्ड है। जिसका विभाजन प्रस्ताव बनाया जाना संभव नही है तथा साथ ही मौके पर उक्त आराजी के लगभग 3/4 भाग पर मकानात बनकर आबादी बसी हुई है। मौके पर काफी दिनो से कृषि कार्य नही हो रहा है। मौके पर उक्त आराजी पर दीगर व्यक्तियों (खातेदारों के अलावा) के मकानात बने हुए है।

तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट पर वादीया की ओर से ऐतराज प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि तहसीलदार धौलपुर द्वारा वादिया से अभद्रता की गई और उनके द्वारा दिनांक 12.04.2023 को मौका देखा गया व उन्होने न्यायालय द्वारा पारित प्रारभिंक डिक्री को नकारते हुए मौका रिपोर्ट पत्र दिनांक 19.07.2023 से जो प्रस्तुत की है वह राजस्थान काश्तकारी नियमों के विपरीत है और निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व नियमों के विपरीत दी है उसने स्वंय को न्यायालय श्रीमान से उपर मानकर रिपोर्ट दी है। तहसीलदार धौलपुर प्रतिवादी संख्या 9 के रूप में पक्षकार है जिस पर समन की तामील विधिवत् रूप से हुई है उसने उक्त रिपोर्ट में अंकित कोई आपत्ति अपने

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

जवाब दावे में नहीं की है न साक्ष्य में की है। इसलिए वह न्यायालय श्रीमान द्वारा कुर्रेजात मंगाये जाने की रिपोर्ट में उपरोक्त आपत्ति करने से प्रतिबंधित है। अतः तहसीलदार धौलपुर को पुनः कुर्रेजात मंगाने के लिए आदेशित किया जावे।

वादिया की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र पर विद्वान वकील वादिया की दिनांक 06.08.2024 को एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादिया ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए विवादित आराजी पर वादिया के हिस्से पर फसल होना कथन किया जिस पर वादिया को खसरा गिरदावरी पेश करने हेतु अवसर दिया।

दिनांक 30.08.2024 को वादिया की ओर से खसरा गिरदावरी पेश नही की। पुनः बहस सुनी गई। पुनः आपत्ति प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दुहराते हुए तहसीलदार धौलपुर से पुनः कुर्रेजात प्रस्ताव मंगाने हेतु कथन किया।

तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । वादिया के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। वादिया की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि तहसीलदार धौलपुर द्वारा राजस्थान काश्तकारी नियमों के विपरीत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तहसीलदार धौलपुर द्वारा उनकी रिपोर्ट में मौके पर फसल नही होना तथा मौके पर विवादित आराजी पर दीगर व्यक्तियों के मकानात होना अवगत कराया है। वादिया की ओर से ना तो आपत्ति प्रार्थना पत्र में मौके पर मकानात बने होने के तथ्य को नकारा है ना ही उनके द्वारा बहस के दौरान इस संबध में कोई कथन किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत इस न्यायालय को मात्र कृषि भूमि का विभाजन किये जाने का अधिकार प्राप्त है। चूंकि तहसीलदार धौलपुर द्वारा मौके पर मकानात बने होना बताया है। अतः विवादित आराजी वर्तमान में कृषि भूमि नही है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा विवादित आराजी का विभाजन किया जाना कानूनन उचित नही है। अतः दावा वादिया खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः विवादित आराजी मौके पर कृषि भूमि नही होने के अभाव में दावा वादिया खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)